रामेश्वर वगैरह बनाम रामचन्द्र वगैरह

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु० नं० 48/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
...1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव उभय पक्षकारान उपस्थित। शेष प्रति-वादीगण की तलबी पूर्व आदेशानुसार की जाकर पत्रावली दिनांक 04-05-2018 को पेश हो। [signature]	
...4-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष—2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर, के क्रमांक प.12 (16) राज–1/2016 दिनांक —. को पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशो की पालना में पत्रावली पूर्व नियम तारीख पेशी 4-5-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशो की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाती है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र सरगोठ में दिनांक 4-5-2018 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो [signature]	
...05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– सरगोठ के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में वादीगण में से गणेशराम ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पक्षकार गणेशराम के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण पूर्व से ही शेष प्रतिवादीगण नम्बर 18 से 20 की तलबी में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 18 से 20 की तामील होकर आज कैम्प कोर्ट– सरगोठ में पेश हुई। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 20 की ओर से मौके पर कैम्प में उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रकरण में भूमिधारी के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया एंव जवाब का मोहताज नहीं होना जाहिर किया। शेष प्रतिवादी न0 18 व 19 की सम्मन तामील सम्यक रूप [signature] उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	[signature] 4-5-18

Scanned by CamScanner

रामदेव वगै० बनाम रामचन्द्र वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर आहकाम हुक्म में
	6197, मु० न० - 48/2017	

प्रतिवादी नम्बर 18 व 19 की सम्मन तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। जिस पर उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि उनके बैंक रहन का ध्यान रखा जाकर निर्णय पारित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण को लोक अदालत में ही बहस में लिया जाकर विचाराधीन होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 2362 रकबा 1.07 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ता 13 व 15 ता 17 एंव प्रतिवादिया संख्या 4 की माता मृत्तक बरजी बैवा हणमान के नाम गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2377 कुल किता 6 कुल रकबा 5.22 हैक्टर तन् ग्राम सरगोठ के 2/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 15 के दत्तक पिता मृत्तक भूरा पुत्र नानू के नाम गलत दर्ज होने बाबत अंकित किया है। खसरा नम्बर 2362 रकबा 1.07 हैक्टर सम्पूर्ण पर वादीगण हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा में वादीगण संख्या 1 ता 7 तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 8 तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 8 तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 9 ता 11 तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 12 व 13 काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2377 कुल किता 6 कुल रकबा 5.22 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 15 के दत्तक पिता मृत्तक भूरा पुत्र नानू के नाम दर्ज हिस्सा 2/3 पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। जो हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा में वादीगण संख्या 1 ता 7 तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 8 तथा ~~1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 8 तथा~~ 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 9 ता 11 तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 12 व 13 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमियों पर वादीगण अपने वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

रामदेव वगै० बनाम् रामचन्द्र वगै०
दावा
मुकदमा नम्बरः— 48/2017

प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज चली आ रही है जबकि वादीगण वक्त बुजुर्गान से प्रतिवादीगण की जानकारी में बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण कानूनन प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उक्त भूमियों के खातेदार काश्तकार हो चूके है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी उक्तानुसार अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी होने से वादीगण द्वारा यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, 15 से 17 के विरूद्ध इस समय कोई अनुतोष नहीं चाहने से दावा विड्रा किया जा चूका है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3, 5, 6 ता 8, 11 ता 14 की ओर से जवाबदावा मय क्रोस दावा पेश किया हुआ। इसके पश्चात् प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 एंव 11 ता 14 ने हाजिर अदालत होकर वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा भी दिनांक 21.12.2017 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा तस्दीक कराया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से प्रकरण में तनकीयात् कायम नहीं की गई है। वादी नम्बर 10 के फौत होने पर उसके कायम मुकामान् को रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में अन्य पक्षकारान् के विरूद्ध दावा विड्रा कर लिये जाने से प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण में कोई साक्ष्य शपथपत्र इत्यादि पेश नहीं किये गये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3, 5, 6 ता 8, 11 ता 14 की ओर से प्रस्तुत क्रोस दावा में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण में तनकीयात् कायम नहीं की जाकर सीधे ही लोक अदालत की भावना से बहस में रखा जाता है तथा प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य पूर्व में आपस में हुए राजीनामा दिनांक 21.12.2017 के आधार पर लोक अदालत की भावना से निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	रामदेव वगै० बनाम् रामचन्द्र वगै० दावा मुकदमा नम्बरः– 48/2017 अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3, 5, 6 ता 8, 11 ता 14 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा (क्रोस दावा) को न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प –सरगोठ में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 2362 रकबा 1.07 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण संख्या 1 ता 7 को हिस्सा 1/4, वादी संख्या 8 को हिस्सा 1/4, वादी संख्या 9 ता 11 को हिस्सा 1/4 तथा वादी संख्या 12 ता 13 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 11 ता 14 का नाम हजफ किया जाता है तथा शेष खातेदारान् का नाम यथावत रखा जाता है तथा खसरा नम्बर 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2377 अवस्थित तन् ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर के वादीगण संख्या 1 ता 7 को हिस्सा 1/4, वादी संख्या 8 को हिस्सा 1/4, वादी संख्या 9 ता 11 को हिस्सा 1/4 तथा वादी संख्या 12 ता 13 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 11 ता 14 का नाम हजफ किया जाता है तथा शेष खातेदारान् का नाम यथावत रखा जाता है। खसरा नम्बर 2409, 2423, 2424, 2425 कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सरगोठ के प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 9/136, प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 4/136, प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा 5/136, प्रतिवादी संख्या 5 को हिस्सा 9/136, प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 3/136, प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 3/136, प्रतिवादी संख्या 8 को हिस्सा 3/136, प्रतिवादी संख्या 11 को हिस्सा 25/136, प्रतिवादी संख्या 12 को हिस्सा 25/136, प्रतिवादी संख्या 13 को हिस्सा 25/136, प्रतिवादी संख्या 14 को हिस्सा 25/136 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

रामदेव वगै0 बनाम् रामचन्द्र वगै0
दावा
मुकदमा नम्बरः– 48 / 2017

किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से वादीगण का नाम हजफ किया जाता है। उक्त दावा व प्रतिदावा में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अदला–बदली हुई भूमियों में वादीगण के प्रतिवादीगण के मुकाबले अधिक आई भूमि का वर्तमान प्रचलित जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) द्वारा अनुमोदित दरों से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा हो जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। उक्त खसरा नम्बरान् पर बैंक का ऋण रहन आदि कोई हो तो उसे खातेदारान् के नाम आने वाली भूमियों पर रहन दर्ज कर दिया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र सरगोठ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहम लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–सरगोठ

Scanned by CamScanner